न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 119/2025

श्री ममता महावर पत्नी चन्द्र प्रकाश महावर निवासी मेहन्दवास गेट संधपुरा, पुरानी टोंक राज. ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **4.02.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 19.09.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

संलग्न अति ही संवेदनशील परिवाद पर आपके द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी मय अपने अपीलाण्ट अधिकारी के पते सहित देने की सुनिश्चितता करे जो निम्न प्रकार से है–

मैं एक अत्यन्त ही गरीब प्रायः कम पढी लिखी हूं और लोगों के घरों में झाडू पौछा व बर्तन तक साफ करने का काम करती हूं। घर में दो मासुम बेटियां हैः जिनका पालन पोषण दुर्लभ होता जा रहा है, उपर से मेरा शरीर भी दिनों दिन जर्जर होता जा रहा है, मेरे पति जब भी मिल जाय तो बेलदारी का काम कर लेते है, जिससे आप हमारी घर विकट परिस्थिति का अन्दाजा लगा सकते है।

उपर से संलग्न मात्र एक प्रमाण के हमारा मैरिज सर्टिफिकेट भी कोई ई–मित्र नही बना रहा, जिससे हम लोग राशन आदि सुविधाओं से वंचित है, जो ऐसे में अब आप मेहरबानी करके उपरोक्तानुसार एवं अन्य देय सरकारी मदद दिलाने में हमारी मदद करे तो हमारा परिवार दुआएं देगा।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को पत्र कमांक 2440 दिनांक 16.12.2025, 2513 दिनांक 31.12.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक ने पत्र कमांक 44 दिनांक 09.01.2026 से जवाब प्रेषित किया है अपीलार्थी को पत्र कमांक 1015 दिनांक 21.08.2025 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक